

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

विजय बनाम रामचण्ड

मु. सं. 164/16

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

धाज यह पत्रावली न्याय आदेश
इस कैम्प सांघा पेस डई, पत्रावली का
अनुच्छेदन किया गया प्रकरण से स्पष्ट है
कि मामला पारिवारिक है। ऐसी स्थिति में
प्रथम पत्र स्वीकार करने इच्छित प्रतीत होता
है।

अतः सामल का प्रथम पत्र अर्थात्
निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर सामल के
रुद्ध में जारी अन्त अर्थात् निषेधाज्ञा दि.
10-10-16 बाद पत्र के निर्णय तक कनवर्ष
की जाती है। पत्रावली फ़ैसल मुमग रो
व शामिल नूख बाद रहा।

निषेधाज्ञा सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, महवा
कैम्प सांघा